कोयला क्षेत्र में बेकार मशीनों का बेचा जाना

*182. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कोयला मंत्री 9 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1793 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कितनी बेकार मशीनों को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में बेचा गया और ऐसी कितनी मशीनें शेष पड़ी हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी मशीनों की बिक्री से प्रत्येक कंपनी को कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) इस अवधि के दौरान खरीदी गई नई मशीनों को उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) वर्ष 1993-94 में बेकार घोषित की गई 267 मशीनों में से 19 मशीनों का 1993-94 के दौरान निपटारा (बेचा) गया था और 1994-95 में (फरवरी, 1995 तक) 36 मशीनों को बेच दिया गया है। शेष 212 मशीनें बिक्री किए जाने की प्रक्रिया के अधीन हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 में तथा वर्ष 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) बेकार मशीनों की बिक्री किए जाने के लिए कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित की गई राशि नीचे दर्शायी गई है:—

कंपनी	अर्जित राशि (लाख रुपए में)		
	1993-94	1994-95	जोड़
ई० को लि०	8.18	—	8.18
धा० को० को० लि०	—	—	—
से० को० लि०	10.15	10.80	20.95
वे० को० लि०	—	11.72	11.72
सा० ई० को० लि०	16.50	12.64	29.14
क० को० लि०	—	—	—
मा० को० लि०	—	—	—
जोड़:	34.83	35.16	69.99

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान खरीद की गई मशीनों को कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः नई मशीनों को उपयोग में न लाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Review of Grain Procurement Policy

*183. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'Grain Procurement policy under review' which appeared in the Economic Times of 18th January, 1995;

(b) if so, what decision has been or is being taken in this regard by when the new policy is likely to be announced and implemented; and

(c) what are the salient features and rationale of the new policy?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no change in the existing foodgrains procurement policy.

उद्योगों के बन्द होने की स्थिति में कर्मकारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जाना

*184. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य श्रम मंत्रियों ने उद्योगों के बन्द होने की स्थिति में श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को 15 दिन की मजदूरी से बढ़ाकर 45 दिन की मजदूरी करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य श्रम मंत्रियों के अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक लागू किया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) 6.2.92 को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के 40 वें सम्मेलन में श्री जी० रामनुजम को अध्यक्षता वाली नए औद्योगिक संबंध विधान संबंधी द्विपक्षीय समिति की सिफारिशों पर और विचार करने के लिए श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 5 राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन करने का निर्णय लिया गया था। श्रम मंत्रियों के ग्रुप ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सर्वसम्मति से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि कर्मकारों के लिए